

404

sale Rs 100000/ Shardaeg.

396

1000Rs.



2500 4000
 fee paid

Rs 1000/-
 No. 54/-

1054/-
 250
 194
 3.44
 1057.44

Shawari Ahmed

22/2/07

नाम मोकीर - शकील अहमद वल्द अब्दुल हमीद मरहूम जांत
 मोमिन पेशा तेजारत साकिन अमला टोली बंगला रोड थाना वो
 जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक।

निबंधन प. 18.2.2007
 (शारखण्ड)

22/2

नाम मोकीर अलैह:- श्रीमती रेखा देवी पति श्री मोहन प्रसाद
 साहु जात सौण्डिक वैश्य पेशा गृहस्ती साकिन कोर्ट रोड लोहरदगा
 थाना वो जिला लोहरदगा झारखण्ड राज्य भारतीय नागरिक

S. S. Suddhan Khan
 22/02/07

सामोल नं. ५६९३२ दिनांक २-०६
 नाम श्री फकीर शाही पति श्री शाहज पहाय साहु
 मा. नं. फीट रोड थाना गिहोडा
 वास्ते विक्री रु. १००० + १००० + १००० + २०० + २०० + २०० + ४०००/-
 खवरण कु.


कमलमाल साहु
 मुद्रांक विक्रेता, लोहरदगा
 ल. नं. - २/५७



Attested
 Kingu
 Shaw

22/10/07 दिनांक २२-१०-०७
 मे. ल. नं. ३१६११५
 थाना गिहोडा
 श्री/ फकीर शाही पति श्री शाहज पहाय साहु
 ल. नं. ३१६११५
 ५२२

Shahji Ahamed
 Rohadga



स्वयंमुक्त थी
 ३१६११५
 जिला नगर निवासी लोहरदगा
 ल. नं. ३१६११५
 ५२२

नि. पदा. श्री
 ६२००१०/१
 Shahji Ahamed
 22/10/07

६४
 ५३१०



कमलमाल साहु
 २२/१०/०७



किसीम वसीका : केवाला बैला कलामी(Absolute Sale)

तायदाद रूपया : मो० 1,00,000 /-(एक लाख रूपया मात्र)


तफसील जमीन : मवाजी 10 डिसमिल (दस डिसमिल) जमीन टांड हकियत रैयती खरीदगी जिसका खाता न० 225 प्लाट न० 1516 में से रकबा 10 डिसमिल जिसके उत्तर जवाहर लाल वगैरह दखिन प्रस्तावित रास्ता 15 फीट पुरब आज खरीदगी श्रीमती ललिता देवी पश्चिम पार्ट प्लाट न० 1516 वाके मौजा कैमो थाना लोहरदगा थाना न० 212 मुतलके कलक्टरी वो डि० रजिस्टार वो डि० सब रजिस्टार लोहरदगा अन्दर जमीनदारी झारखण्ड सरकार अंचल अधिकारी लोहरदगा के वाके है माल सलाने मो० 50 पैसा जमीन पर मकान निर्मित नही है जमीन मकान बनाने योग्य हल्का न० 1

Shauki Shauki
22/2/07

मो 50 पैसा
लोहरदगा
22/2/07

जमीन का विवरण		
खाता न०	प्लाट न०	रकबा
225	1516	में से 10 डी०

1000Rs.



जमीन का नाप

उत्तर जानिब पुरब पश्चिम - 58 फीट
दखिन जानिब पुरब पश्चिम - 58 फीट
पुरब जानिब उत्तर दखिन - 75 फीट
पश्चिम जानिब उत्तर दखिन - 75 फीट

ब- मौजिब मैप जो साथ केवाला के नथी है जिस पर बिक्री रकबा लाल रंग से दिखलाया गया है ।

घोषित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और ना सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है घोषित करते है कि प्रसांगिक भूमि भूदान , भू हदबन्दी, लीज तथा भू बन्दोबस्ती की नहीं है यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है तथा घोषित किया जाता है कि यह भूमि मठ ,मन्दिर, गिरजा,मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है स्पष्ट किया जाता है कि प्रसांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है यह भी घोषित किया जाता है कि उपरोक्त जमीन आदिवासी खाता की जमीन नहीं है ।

Shawar Ahmed
22/2/07

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

R. 500

1 FEB 2007

FIVE HUNDRED RUPEES

जो तरफ से मोहम्मद माहताब आलम वल्द मो० कलाम के द्वारा बिक्री तारीख 28.5.2005 जिसका बुक न० 1 भौलूम 23 पेज 565 से 570 दस्तावेज न० 1172 सन् 2005 के मन मोकिर को हासिल है जिसका दाखिल खारिज बजरिये केस न० 199 / 2006-07 के अंचलाधिकारी लोहरदगा के सिरिस्ता से स्वीकृत है तथा माल अदाय कर रसीद हासिल करते आ रहे है जो हर तरह के हकियत के नुक्श से पाक वो साफ है

चुं के मन मोकरी मोकरी अलैह मजकुर से मो० 1,00,000/- एक लाख रुपया लेकर जमीन मजकुरे वाला के साथ बेचा वो बैला कलामी किया वो आज के रोज से उपरोक्त जमीन पर मोकरी अलैह मजकुर को काबीज दखलकार किया चाहिए कि मोकरी अलैह मजकुर मै उनके वारिसान उपर जमीन पर कच्चा पक्का मकान बनावें चहारदिवारी दें या कुआ खोदावें या जैसा पसन्द हो करे आज के बाद जो कुछ के हक हकुक आज के रोज से मनमोकरी के था या उनके वारीसान को होता वो सब कुल हक हकुक आज के रोज से मोकरी अलैह का हुआ वो होगा अब आज के तारीख से किसी किसीम का हक दावी दावा वास्ता या सरोकार उपर से जमीन पर मन मोकरी या वारिसान के बाकी नही रहा वो न ही आइन्दे होगा। जो कुछ के हक दावी दावा वास्ता या सरोकार उपर से जमीन पर मन मोकरी वो वारिसान के था या आइन्दे होता सो सब कुल हक हकुक बजिन्सहू आज के तारीख से खरीदार मजकुर मै उनके वारिसान का हुआ वो होगा वो सै बिकी जमीन का

Shauq Ahmad

22/2/07

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

RS 500

पाच सौ रुपय FIVE HUNDRED RUPES

7 FEB 2007

मूल सलावे जमीन्दार मौजा मजकुर को देकर रसीद अपने नाम से हासिल कर लिया करे कोई उजुर न होगा इस वास्ते हम अपने खुशी से कुल रुपया नगद ले कर केवाला बैला कलामी लिख दिया के वक्त पर काम आवे।

तारीख 22 माह फरवरी सन् 2007 ई०

कातिब दिलीप कुमार सिंह अधिवक्ता साकिन लोहरदगा मजमून पढ कर मोकिर को सुना वो समझा दिया । प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति दोनों एक दुसरे की हू ब हू सच्ची प्रतिलिपि है।

Certified that the finger prints of the left hand of each person whose photographs is affixed in the document have been obtained before me.

दिलीप कुमार सिंह
अधिवक्ता

94317-66813



शैरवा देवी

22-2-2007

Shaw, Sheraaf
22/2/07

Shaw

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अगिलेख संख्या—...../2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमती रेखा देवी
पति. श्री मोहन प्रसाद लाल
वॉर्ड 213 लोहावाड़ा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा—बुली स्थाना नं० 42
खाता नं०—225 खेसरा नं०—1516 रकबा—0.10 से संबंधित आपकी नाम से
ह० नं०—1 के पंजी-II भाग 15 के पृष्ठ 6 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम मुक्या
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक—23/8/16 को समय—11:00 बजे पूर्वानुमति में उक्त
भूमि का रिटर्न-I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके पास
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हों, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कोई
नाही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर प्रयत्न
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।



तिथि:—

स्थान:—

13/08/16
अंचल अधिकारी